न्यायालयः—अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर।
साहेबगंज—55/2021
जी.आर.398/2021

26.08.2021 आवेदक अभियुक्त गुड्डु कुमार उर्फ सतीश कुमार, संतोष कुमार एवं नितेश कुमार की ओर से जमानत आवेदन—पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रति सहायक लोक अभियोजक को दी गई। अभियुक्तगण अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए। आवेदन—पत्र परिचालित किया गया। तदोपरांत उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। जमानत के बिन्दु पर आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध नहीं किया है। उनकी ओर से अन्यत्र कोई जमानत आवेदन—पत्र दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण को इस कांड में झूठा फंसा दिया गया है। उभय पक्ष में यह वाद सुलह हो गया है। सुलहनामा जमानत आवेदन—पत्र के साथ संलग्न है। आवेदक अभियुक्तगण द्वारा सूचिका से कोई दहेज की मांग नहीं किये गये हैं। आवेदक अभियुक्तगण जमानतदार देने को तैयार है एवं उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत पर मुक्त किया जाए।

सहायक लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक अभियुक्तगण साहेबगंज थाना कांड सं0 55/2021 अन्तर्गत धारा 341, 323, 504, 506, 498ए/34 भा0द0वि0 एवं 3/4 दहेज अधिनियम में नामित है। आवेदक अभियुक्त के उपर प्राथमिकी के अन्य नामित अभियुक्तों के साथ मिलकर मारपीट,गाली—गलौज, गैस स्लेन्डर से जलाकर मारने कोशिश करने तथा प्रताड़ित करने का आरोप है। लेकिन उभय पक्ष मे यह वाद सुलह हो गया है। सुलहनामा जमानत आवेदन—पत्र के साथ संलग्न है। सुलह के कारण सद्भाव कायम हो गया है। सुलहनामा पर दोनों पक्ष का हस्ताक्षर है। स्वयं इस वाद की सूचिका न्यायालय में उपस्थित होकर सुलह के तथ्य को स्वीकार की है तथा कही है कि अब दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है तथा आपस में सुलह हो गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक अभियुक्तों को सुलह के आलोक में जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ, तद्नुसार उनकी ओर से 4,000/—हजार रूपया का बंधपत्र समान राशि के एक—एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

प्र.अनु.न्या.दंडा.मुज0(प0)।

पश्चात् अभियुक्तों के तरफ से बंधपत्र दाखिल किया गया। जिसे जांचोपरांत सही पाकर स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

प्र.अनु.न्या.दंडा.मुज0(प0)।